सीवरेज सफाई के दौरान श्रमिकों की मौत कैसे हुई?

हाईकोर्ट ने निगम आयुक्त और जोन उपायुक्त सहित ठेकेदार को कोर्ट में पेश होकर बताने के लिए कहा

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर । राजस्थान हाईकोर्ट ने नगर निगम आयुक्त और झोटवाडा जोन उपायुक्त सहित संबंधित ठेकेदार को 6 मई को अदालत में पेश होकर बताने को कहा है सीवरेज सफाई के दौरान श्रमिकों की मौत कैसे हुई। एक्टिंग सीजे संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस शुभा मेहता की खंडपीठ ने यह आदेश स्नेहांश फाउंडेशन की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

■ **गौरतलब है कि झोटवाड़ा नगर निगम एरिया के तहत करधनी इलाके में 17 अप्रैल को सफाईकर्मी अजय और रामबाबू बिना सुरक्षा उपकरण सीवर लाइन साफ करने उतरे थे। इस दौरान जहरीली गैस के संपर्क में आने से उनकी मौत हो गई। घटना को लेकर 6 सदस्यीय जांच कमेटी गठित की गई है।**

याचिका में अधिवक्ता पलक सक्सैना ने अदालत को बताया कि प्रदेश में हाथ से मैला ढोने वालों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 के प्रावधानों की अवहेलना की जा रही है। जयपुर और जोधपुर जैसे बडे शहरों में सरकार इस अधिनियम के प्रावधान लागू करने में विफल रही है। जिसके चलते हाथ से मैला ढोने और सीवर की सफाई के दौरान दुखद घटनाएं हुई हैं। याचिका में कहा गया कि गत 17 अप्रैल को सीवर की सफाई के लिए दो मजदूर को चैंबर में उतारा गया। जिससे दम घुटने से उनकी मौत हो गई, जबकि मैनहोल की सफाई मशीनों से करने का प्रावधान है। सीवर सफाई का कार्य नगर निगम के अधिकारियों के निर्देश और मार्गदर्शन में होता है। ऐसे में ऐसी घटनाओं के लिए वे जिम्मेदार है। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने निगम आयुक्त और उपायुक्त सहित संबंधित ठेकेदार को हाजिर होकर इस संबंध में अपना स्पष्टीकरण देने को कहा है।गौरतलब है कि झोटवाड़ा नगर निगम एरिया के तहत करधनी इलाके में 17 अप्रैल को सफाईकर्मी अजय और रामबाबू बिना सुरक्षा उपकरण सीवर लाइन साफ करने उतरे थे। इस दौरान जहरीली गैस के संपर्क में आने से उनकी मौत हो गई। घटना को लेकर 6 सदस्यीय जांच कमेटी गठित की गई है।

गुजरात-महाराष्ट्र के लोगों से राज्यपाल ने किया संवाद

जयपुर । लोकभवन में शुक्रवार को महाराष्ट्र और गुजरात राज्य का स्थापना दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागडे ने इस दौरान दोनों राज्यों के लोगों से संवाद कर उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र और गुजरात के भाषायी आधार पर अलग राज्य बनने के बाद से ही दोनों ने राष्ट्रीय प्रगति में निरंतर महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

■ **लोकभवन में महाराष्ट्र और गुजरात का स्थापना दिवस मनाया गया**

राज्यपाल बागडे ने महाराष्ट्र और गुजरात को स्वाधीनता आंदोलन की उर्वर भूमि बताते हुए सरदार पटेल, महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक आदि का भी स्मरण किया।

राज्यपाल ने कहा कि औद्योगिक विकास के साथ गुजरात ने देशभर में अपनी उत्सवधर्मी सांस्कृतिक, सामाजिक परम्पराओं से भी विशिष्ट पहचान बनाई है। उन्होंने महाराष्ट्र को अध्यात्म, दर्शन और संत परम्पराओं की धरती बताते हुए कहा कि संत तुकाराम, स्वामी समर्थ रामदास जी जैसे संतों की इस धरती पर ही छत्रपति शिवाजी, सावरकर, डॉ. भीमराव अम्बेडकर जैसे व्यक्तित्वो ने समाज में सकारात्मक बदलाव की पहल की।

बागडे ने कहा कि लोकभवन में "एक भारत श्रेष्ठ भारत" के अंर्तगत राज्यों के स्थापना दिवस मनाने का उद्देश्य यही है कि विविधता में एकता की हमारी अनूठी संस्कृति को हम अनुभूत कर सकें। उन्होंने अतीत की परम्पराओं को सहेजते हुए दोनों ही प्रदेशों की समृद्धि और खुशहाली की कामना की। इस मौके पर राज्यपाल के सचिव डॉ. पृथ्वी भी उपस्थित रहे।

देवर्षि नारद जयंती आज

जयपुर । विश्व संवाद केंद्र जयपुर की ओर से शनिवार को दोपहर 1 बजे मालवीय नगर स्थित पाथेय भवन के देवर्षि नारद सभागार में देवर्षि नारद जयंती एवं पत्रकार सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा।

तीये की बैठक

अत्यंत दुख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारी पूजनीय माताजी

श्रीमती केसरी देवी

धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री सोहनलाल जी दांतेल का स्वर्गवास 30.4.2026 को हो गया है तीये की बैठक 2-5-2026 शनिवार सायं 4 से 5 बजे तक ग्राम किशोरपुरा (मंगलम पार्क)में होगी

शोकाकुल- कानाराम, मदन लाल (राष्ट्रीय सचिव जाट महासभा) नन्छूलाल पुत्र कल्याणमल, गट्टू नारायण, सुवालाल, लालाराम, लक्ष्मण, गोपाल, कैलाश (भतीजा) रामनिवास, सुनील, हेतराम, कृष्ण, विकास, आयुष, अरनव पौत्र एवं समस्त दांतेल परिवार

नाम परिवर्तन

मैंने अपना नाम अफसाना बानो (AFSANABANO) से बदलकर अफसाना बानो रंगरेज (AFSANA BANO RANGRAIJ) पत्नी मोहम्मद असरार (MOHD ASRAR) निवास 319/4, एच.ए.आर.कॉलोनी, आउट साइट चार दरवाजा, जयपुर रख लिया है भविष्य में मुझे अफसाना बानो रंगरेज के नाम से जाना पहचाना जावें।

As Per My Fathers Army Records My Incorrect Name Recorded As BHUPENDER SINGH RAJAWAT My Aadhar No. 3976 7449 7471 S/O de -482320M Sub Balvir Singh Vill. Sar sari Rampura Post Bansthali, Teh. Niwai, Dist. Tonk, Rajasthan 304022

खोया पाया

यह सूचित किया जाता है कि मेरे प्लॉट सं. D-33, मालवीय नगर, जयपुर के JDA का मूल पट्टे के दस्तावेज खो गए है मिलने पर सूचित करें। स्वरूप कृष्ण अग्रवाल 9414784714

आम सूचना सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे अभिभाष्य श्री दिलीप कुमार शर्मा पुत्र श्री मदन लाल शर्मा, निवासी- जड़ियों का रास्ता, चौडा रास्ता, जयपुर हाल निवासी- प्लॉट नम्बर 03, किशन कॉलोनी, गोनेर रोड, जयपुर का है। मेरे अभिभाष्य का एकमात्र पुत्र हर्ष शर्मा है, जोकि आये दिन लड़ाई झगड़ा करता है। मेरा अभिभाष्य दिल का मरीज है, जिसकी आयु 66 वर्ष व उसकी पत्नी की आयु 62 वर्ष है। मेरे अभिभाष्य का पुत्र मेरे अभिभाष्य की देख-भाल व सेवा इत्यादि नहीं करता है, इस लिये मेरा अभिभाष्य अपने पुत्र हर्ष शर्मा को अपनी समस्त चल व अचल सम्पत्ति से बेदखल करते हुये अपने समस्त सम्बन्ध समाप्त कर रहा है। यदि कोई भी व्यक्ति मेरे अभिभाष्य के पुत्र से किसी भी प्रकार से संव्यवहार या व्यवहार सम्बन्ध रखता है या करता है, तो वह स्वयं जिम्मेदार होगा।
जयपुर (सतीश सैनी) एडवोकेट
दिनांक-1.5.2026 मो.नं. 9828837837

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रस्तावित औद्योगिक शेड प्रोजेक्ट "लारेनोन हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड" प्लॉट नं. SP6-72 एवं SP6-73, रीको औद्योगिक क्षेत्र घीलोठ, तहसील नीमराना, जिला कोटपुतली-बहरोड़, राजस्थान में स्थित है। इसका कुल भूखंड क्षेत्र 43,677 वर्ग मीटर तथा प्रस्तावित कुल निर्मित क्षेत्र 34,565.37 वर्ग मीटर है। भवन निर्माण हेतु पर्यावरण स्वीकृति राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा पत्र संख्या RJ/25/SEAC-2(06)/INFRA-2/EC/1027 दिनांक 27.04.2026 के माध्यम से प्रदान की गई है। सहमति प्रपत्र की प्रति पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण (SEIAA) के पास उपलब्ध है।

आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमति सुशीला मालपानी धर्मपत्नि श्री अशोक कुमार मालपानी एवं सुश्री दीपशिखा मालपानी पुत्री श्री अशोक कुमार मालपानी ने सम्पत्ति Flat No. 401, Fourth Floor, Dhanshree Tower-I, Plot No. 12, Central Spine, Vidhyadhar Nagar, Jaipur, Area 1000 Sq. Feet., को श्री भवानी शंकर अग्रवाल पुत्र स्व. राम नारायण व श्री दिपक कुमार अग्रवाल पुत्र श्री भवानी शंकर अग्रवाल से खरीदना तय किया है। उक्त सम्पत्ति खरीदने के लिए श्रीमति सुशीला मालपानी धर्मपत्नि श्री अशोक कुमार मालपानी एवं सुश्री दीपशिखा मालपानी पुत्री श्री अशोक कुमार मालपानी HDFC Bank से ऋण प्राप्त करके उक्त सम्पत्ति को बंधक करेंगी। पूर्व में श्रीमति आशा देवी पुत्री स्व. कल्याण दास द्वारा Flat No. 401, Fourth Floor, Dhanshree Tower-I, Plot No. 12, Central Spine, Vidhyadhar Nagar, Jaipur, Area 1000 Sq. Feet. को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 28.08.2006 के जरिये मैसर्स श्री गणपती डवलपर्स जरिये साझेदार श्री संजय गुप्ता पुत्र श्री एन. के. गुप्ता से खरीद किया था। श्रीमति आशा देवी पुत्री स्व. कल्याण दास का स्वर्गवास दिनांक 20.03.2017 को हो गया और वे अपने पीछे मात्र श्री भवानी शंकर अग्रवाल (पति) एवं श्री दिपक कुमार अग्रवाल (पुत्र) बतौर उत्तराधिकारी छोड गई है। यदि उक्त संपत्ति के बाबत् किसी भी व्यक्ति, कंपनी, संस्था अथवा अन्य किसी को कोई आपत्ति हो तो वो इस Notice के प्रकाशन के सात दिन के भीतर अपना दावा मय दस्तावेज के प्रस्तुत करे अन्यथा समयावधि निकलने के पश्चात् उक्त संपत्ति को क्रय करके बैंक के हक में बंधक कर दी जायेगी। भवदीय - धीरेन्द्र मोहन माथुर, अधिवक्ता मो. 9116632826

कार्यालय उपायुक्त (विद्याधर नगर जोन) नगर निगम जयपुर
(अम्बाबाडी सामुदायिक केन्द्र, अम्बाबाडी सर्किल, जयपुर)
क्रमांक: एफ.55( )वि. जोन/न.नि.ज./2026/116 दिनांक: 22.04.2026

सार्वजनिक सूचना— भूखण्ड सं. 56, 1-एफ, झोटवाडा, जयपुर (श्री जनता गृह निर्माण सहकारी समिति) जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा श्री भागचन्द कुमावत पुत्र श्री गणेशराम कुमावत के पक्ष में क्षेत्रफल 200.00 वर्गगज भूमि का पट्टा विलेख जारी किया गया था। दिनांक 14/11/2021 को श्री भागचन्द कुमावत पुत्र श्री गणेशराम कुमावत की मृत्यु हो गई। श्रीमती सरोज देवी पत्नी स्व. श्री भागचन्द कुमावत एवं श्रीमती ममता, सुश्री अंजू कुमावत पुत्री स्व. श्री भागचन्द कुमावत ने जरिए पंजीकृत हकत्याग पत्र दिनांक 19.11.2025 को उक्त भूखण्ड पर से अपना हक श्री नरेश कुमावत पुत्र स्व. श्री भागचन्द कुमावत के पक्ष में हकत्याग कर दिया। श्री नरेश कुमावत पुत्र स्व. श्री भागचन्द कुमावत द्वारा भूखण्ड संख्या 56, 1-एफ, झोटवाडा, जयपुर (श्री जनता गृह निर्माण सहकारी समिति) क्षेत्र. 200.00 वर्गगज का नाम हस्तान्तरण चाहा गया है। उक्त भूखण्ड के नाम हस्तान्तरण बाबत किसी भी व्यक्ति, संस्था, फर्म, कम्पनी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो 07 कार्य दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत करें। अन्यथा निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद विधिवत नियमानुसार नाम हस्तान्तरण की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी।
उपायुक्त, विद्याधर नगर जोन, नगर निगम जयपुर

रीको के नए प्रावधान से औद्योगिक क्षेत्रों में बढ़ेंगी जनसुविधाएं

औद्योगिक क्षेत्रों में ही कामगारों को डिस्पेंसरी, विद्यालय तथा कामकाजी महिलाओं को मिल पायेगी क्रेच सुविधा

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। औद्योगिक क्षेत्रों में कार्यरत उद्यमियों और कामगारों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से रीको ने अपने नियमों का सरलीकरण किया है। संशोधित प्रावधानों के तहत अब औद्योगिक क्षेत्रों में आवश्यक जनसुविधाओं के विकास के लिए भूमि आवंटन प्रक्रिया को सरल बनाया गया है।

रीको भूमि निस्तारण नियम, 1979 के नियम 3 (जी) में आंशिक संशोधन करते हुए पुलिस चौकी, ईएसआई डिस्पेंसरी, प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, बाल देखभाल केंद्र (क्रेच) और सरकारी विद्यालयों के लिए भूमि निःशुल्क उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। इससे औद्योगिक क्षेत्रों में कार्यरत लोगों को कार्यस्थल के आसपास ही आवश्यक सेवाएं मिल सकेंगी।

■ **नए प्रावधान के अनुसार पुलिस चौकी के लिए अधिकतम 1 एकड़ भूमि निःशुल्क आवंटित होगी, जिस पर केवल 10 रुपये का एकमुश्त आर्थिक किराया लिया जाएगा और कोई सेवा शुल्क देय नहीं होगा।**

नए प्रावधान के अनुसार पुलिस चौकी के लिए अधिकतम 1 एकड़ भूमि निःशुल्क आवंटित होगी, जिस पर केवल 10 रुपये का एकमुश्त आर्थिक किराया लिया जाएगा और कोई सेवा शुल्क देय नहीं होगा। इसी प्रकार सर्विस एरिया में सरकारी विद्यालयों के लिए भी भूमि निःशुल्क प्रदान की जाएगी।

महिला एवं बाल विकास विभाग या स्पेशल पर्पज व्हीकल (एसपीवी) के माध्यम से 250 वर्गमीटर या अधिक क्षेत्रफल पर क्रेच स्थापित करने के लिए भी भूमि निःशुल्क दी जाएगी। इस पर भी केवल 10 रुपये का एकमुश्त किराया लिया जाएगा और सेवा शुल्क माफ रहेगा। एसपीवी में संबंधित औद्योगिक क्षेत्र के उद्यिमयों या भू-आवंटियों की भागीदारी आवश्यक होगी।

इसके अतिरिक्त उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, राजस्थान सरकार को कैलिब्रेशन टावर के लिए 500 वर्गमीटर तक तथा उपभोक्ता मामले विभाग को वर्किंग और सेकेंडरी स्टैंडर्ड लैब स्थापित करने के लिए क्रमशः 350 और 660 वर्गमीटर तक भूमि निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता होने पर प्रचलित दरों के अनुसार आवंटन किया जाएगा।

रीको के इन नए प्रावधानों से औद्योगिक क्षेत्रों में स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा और बाल देखभाल जैसी सुविधाओं का विस्तार होगा, जिससे न केवल उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा बल्कि कामगारों और स्थानीय नागरिकों को भी बेहतर वातावरण उपलब्ध हो सकेगा।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने स्व-गणना में लिया भाग

जयपुर । मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जनगणना 2027 के तहत 1 मई से प्रारंभ हुई स्व-गणना में स्वयं भाग लेकर नागरिकों को प्रेरित किया। उन्होंने आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपना विवरण भरते हुए आवश्यक जानकारी दर्ज कर फॉर्म सबमिट किया।

■ **मुख्यमंत्री ने नागरिकों से राष्ट्र निर्माण से जुड़े इस महाअभियान में जुड़ने की अपील की**

मुख्यमंत्री ने कहा कि जनगणना 2027 डिजिटल और विकसित भारत 2047 के संकल्प को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने सभी नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि इस महाअभियान से प्रत्येक नागरिक जुडे एवं राष्ट्र निर्माण के इस कार्यक्रम में पूर्ण सहयोग देकर इसे सफल बनाए।

उल्लेखनीय है कि राजस्थान में जनगणना 2027 के प्रथम चरण के तहत प्रगणक 16 मई से घर-घर जाकर मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना संबंधी कार्य शुरू करेंगे। इससे 15 दिन पहले 1 मई से 15 मई तक आमजन को स्व-गणना की विशेष सुविधा दी गई है, जिसमें नागरिक स्वयं अपनी जानकारी ऑनलाइन भर सकते हैं।

खोया-पाया मै मदनलाल बैरवा पिता जयराम बैरवा निवासी बिजलवास गल्लीवास लालसोट दौसा मेरे पास एक 80 वर्ग गज का प्लांट, बी-74 स्कीम रिद्धि सिद्धि नगर पदमपुरा रोड शिवदासपुरा में है रसीद नंबर 3766 है जिसका पट्टा सूरज पोल गेट गृह विकास सहकारी समिति लिमिटेड जयपुर राजस्थान द्वारा जारी है उक्त प्लाट के समस्त कागजात दौसा से चाकसू जाते समय कहीं खो गए हैं जिसकी थाने में रिपोर्ट दर्ज है मिलने पर संपर्क करें:9928010513

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given to the general public regarding the proposed Commercial Project located at Village Surajpura Ghati, Tehsil Sanganer, District Jaipur, Rajasthan, proposed by Mr. Ramkesh Meena. Environmental Clearance for the construction of this building has been granted by the State Level Environment Impact Assessment Authority (SEIAA), Rajasthan, vide letter number RJ/25/SEAC2 (06)/INFRA2/EC/1069 dated 12/03/2026 & available at https://parivesh.nic.in.
For, Mr. Ramkesh Meena

कार्यालय उपायुक्त मालवीय नगर जोन, नगर निगम जयपुर
क्रमांकः-एफ ()/न.नि.ज/मा०न०जोन /2026/1421 दि.: 1.5.2026
सार्वजनिक सूचना
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम जयपुर के द्वारा भूखण्ड सख्या ए-29 विजय नगर ए बी जयपुर गुलाबबाड़ी गृह निर्माण सहकारी समिति का पट्टा विलेख (लीज होल्ड) श्रीमती सरोज सैनी पत्नि श्री भागचन्द सैनी के पक्ष में क्षेत्रफल 225.89 वर्गगज का दिनांक 27.09.2022 को जारी किया गया है। श्रीमती सरोज सैनी पत्नि श्री भागचन्द सैनी के द्वारा रजि० विक्रय पत्र दिनांक 26.06.2024 के द्वारा भूखण्ड संख्या ए-29 क्षेत्रफल 225.89 वर्गगज का विक्रय श्रीमति प्रतिभा सैनी पत्नि श्री नरेन्द्र कुमार सैनी को किया गया। श्रीमति प्रतिभा सैनी पत्नि श्री नरेन्द्र कुमार सैनी के द्वारा रजि० विक्रय पत्र दिनांक 29.10.2025 के द्वारा भूखण्ड संख्या ए-29 क्षेत्रफल 225.89 वर्गगज का विक्रय श्रीमति उन्नति सुखलेचा पत्नि श्री अमित सुखलेचा को किया गया। आवेदिका श्रीमति उन्नति सुखलेचा पत्नि श्री अमित सुखलेचा के द्वारा दिनांक 29.10.2025 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर एवं (अण्डरटेकिंग), रजिस्टर्ड पट्टा एवं अन्य दस्तावेजो की छायाप्रति प्रस्तुत कर भूखण्ड सख्या ए-29 विजय नगर ए बी जयपुर गुलाबबाड़ी गृह निर्माण सहकारी समिति नाम हस्तान्तरण चाहा गया है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेजो के आधार पर भूखण्ड सख्या ए-29 विजय नगर ए बी जयपुर का नाम हस्तान्तरण नगर निगम ग्रेटर जयपुर द्वारा श्रीमति उन्नति सुखलेचा पत्नि श्री अमित सुखलेचा के पक्ष में किया जाना है। इस नाम हस्तान्तरण बाबत किसी भी व्यक्ति, संस्था, फर्म, कम्पनी को किसी प्रकार की कोई आपति हो तो 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय (उपायुक्त, मालवीय नगर जोन नगर निगम जयपुर) में प्रस्तुत करें, अन्यथा निर्धारित समयावधि की समाप्ति के बाद, नियमानुसार नाम हस्तान्तरण की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी। उपायुक्त मालवीय नगर जोन नगर निगम जयपुर

न्यायालय तहसीलदार फुलेरा मु. सांभरलेक जिला जयपुर
दुरभाष नम्बर 01425-224219
ई-मेल-tdrsbr@ymail.com
क्रमांक-भू03/0/2026/1893 दिनांक-1.5.2026
सार्वजनिक सूचना नोटिस
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी रामदयाल पुत्र भोमाराम जाति बलाई निवासी चैनपुरा तहसील फुलेरा द्वारा ग्राम सामलपुरा की आराजी खसरा नंबर 1 रकबा 0.9863 हैक्टेयर के मृतक खातेदार नाथू पुत्र काना जाति बलाई सा0 देह का फौती नामान्तरण खुलवाने बाबत प्रकरण भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 135 (2) के तहत हाजा न्यायालय मे विचाराधीन है। जिसमें अन्य प्रार्थी ओमप्रकाश वर्मा पुत्र नाथूराम जाति बलाई निवासी हचुकडा तहसील फुलेरा ने भी सजरा शपथ पत्र एवं मृत्यु प्रमाण पत्र पेश कर उक्त मृतक खातेदार का फौती नामांतरकरण खुलवाने बाबत निवेदन किया है।
अतः यदि किसी वारिस / दीगर व्यक्ति को कोई आपत्ति/एतराज हो तो आगामी दिनांक 12.05.2026 तक मय दस्तावेज पेश करे अन्यथा इकतरफा कार्यवाही कर निर्णय पारित कर दिया जावेगा।
तहसीलदार (भू.अ.) फुलेरा मु साँभर लेक

उद्घोषणा (इश्तिहार) न्यायालय (राज.)
व्यवहार मिश्रित (मुतफरिक) वाद सं. 08/2026 उत्तरा.
विषयः उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र (प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्राप्त करने हेतु प्रार्थना-पत्र)।
प्रार्थी-नाम श्रीमती माया देवी पत्नी विजय सिंह जाति चिरावडा विवाद स्थान करौली नादौती राज. हाल निवासी जगनलाल महावर म.नं. 11 बालाजी नगर एस.एम.एस कॉलोनी मुहाना, सांगानेर मृतक विजय सिंह के बैंक अकाउन्ट नं. 41886353327 में इन्श्योरेन्स रकम के बारे में
पेशी दिनांक 5/5/2026
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, उपरोक्त प्रार्थी/प्रार्थीगण ने इस न्यायालय में इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि मृतक, नाम विजय सिंह पुत्र बुद्धाराम जाति चिरावडा निवासी करौली नादौती राज. हाल निवासी जगनलाल महावर म.नं. 11 बालाजी नगर एस.एम.एस. कॉलोनी, मुहाना, सांगानेर का उत्तराधिकारी स्वीकार कर उसके पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र, प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रदान किया जावे।
अतः उक्त प्रार्थना-पत्र की स्वीकृति में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 05/05/2026 को न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रमाण सहित प्रस्तुत करें। उक्त दिवस के पश्चात् कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।
आज दिनांक 21/04/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रांकन से जारी किया गया।
न्यायालय की मोहर हस्ताक्षर
रीडर
अपर जिला एवं सैशन, न्यायालय क्रम संख्या-10, सांगानेर जयपुर महानगर प्रथम

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर 581/2026
(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)
चूंकि श्री तारा चन्द सहारन पुत्र श्री राम रख सहारन निवासी 91, कैलाशपुरी, टोंक रोड जयपुर ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत सहायता कार्यालय पता-297 तरू छाया नगर, टोंक रोड जयपुर के सम्बन्ध में जांच किये जाने के लिए आवेदन पत्र दिया है।
अतएवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 27.04.2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइंदा तारीख पेशी 3.7.2026
मोहर अदालत **सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग जयपुर**

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर 582/2026
(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)
चूंकि श्री राजेन्द्र बेताला निवासी प्लॉट नं. 171 सेक्टर-7, विद्याधर नगर जयपुर ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत प्रन्यास "श्री साधुमार्गी जैन श्रावक संस्थान जयपुर" 3621 फूल भवन केजीवी का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर के सम्बन्ध में जांच किये जाने के लिए आवेदन पत्र दिया है।
अतएवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 28.04.2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 3.7.2026
मोहर अदालत **सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग जयपुर**

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर 575/2026
(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)
चूंकि श्री चौथ मल भगेरिया निवासी प्लॉट नंबर एफ-402 रोड नं-9 एफ, वी के आई एरिया जयपुर ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत प्रन्यास "श्री रामा केदार भगेरा धर्मार्थ चेरिटेबल ट्रस्ट" प्लॉट नंबर एफ-402, रोड नं-9 एफ, वी के आई एरिया, जयपुर के सम्बन्ध में जांच किये जाने के लिए आवेदन पत्र दिया है।
अतएवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 27.04.2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 2.7.2026
मोहर अदालत **सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग जयपुर**

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर 589/2026
(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)
चूंकि श्री श्री नरेन पुरोहित निवासी बी-16, गोविन्द देव कॉलोनी, चौगान स्टेडियम के पीछे, गणगौरी बाजार ब्रह्मपुरी रोड जयपुर राजस्थान ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत निःशुल्क ताली अरदास कीर्तन मण्डल 31, कृष्णा नगर, मंगोडी वालों की बगीची के सामने, ब्रह्मपुरी रोड जयपुर राजस्थान के सम्बन्ध में जांच किये जाने के लिए आवेदन पत्र दिया है।
अतएवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 30.04.2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 6.7.2026
मोहर अदालत **सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग जयपुर**

मुख्यमंत्री के निर्देश पर जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण की प्रक्रिया में आई तेजी

918 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के कार्यों के लिए स्वीकृति पत्र हुआ जारी

जयपुर (कासं)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर जयपुर में सार्वजनिक परिवहन की जीवन रेखा जयपुर मेट्रो फेज-2 का कार्य जल्द शुरू होगा। जयपुर मेट्रो रेल कॉपरिशन लिमिटेड ने एलिवेटेड वायाडक्ट और 10 एलिवेटेड स्टेशन के डिजाइन एवं निर्माण कार्य के लिए 918.04 करोड से अधिक की लागत के कार्यों के लिए एलओए (स्वीकृति पत्र) जारी किया है।

■ **जल्द शुरू होगा प्रहलादपुरा से पिंजरापोल गौशाला तक के 12 किलोमीटर के कॉरिडोर का निर्माण कार्य**

■ **एलिवेटेड वायाडक्ट और 10 एलिवेटेड स्टेशन के डिजाइन और निर्माण का होगा कार्य**

इस स्वीकृति पत्र के तहत फर्म को जयपुर मेट्रो फेज-2 के पहले पैकेज में प्रहलादपुरा से पिंजरापोल गोशाला तक के 12 किलोमीटर के कॉरिडोर के लिए एलिवेटेड वायाडक्ट और 10 एलिवेटेड स्टेशन (प्रहलादपुरा, मानपुरा, बीलवा कलां, बीलवा, गोनेर मोड, सीतापुरा, जेईसीसी, कुंभा मार्ग, हल्दीघाटी गेट और पिंजरापोल गोशाला) के डिजाइन एवं निर्माण पूर्ण करना होगा। इसके साथ ही जयपुर मेट्रो फेज-2 के डिपो की ओर जाने वाली स्पर लाइन का निर्माण कार्य पैकेज में शामिल है। मुख्यमंत्री द्वारा मेट्रो के अधिकारियों को कुल 41 किलोमीटर में से शेष 29 किलोमीटर के लिए भी शीघ्र निविदा आमंत्रित करने के लिए निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में 13,037.66 करोड रुपये की इस परियोजना को मंजूरी मिलने के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर मेट्रो रेल परियोजना की एक उच्च स्तरीय बैठक में इसके त्वरित क्रियान्वयन के लिए निर्देश दिये थे।

गार्ड ने की बच्चियों के साथ अभद्रता

जयपुर। पुलिस कमिश्नरेट के थाना इलाके में स्कूल जाती नाबालिग बच्चियों के साथ छेड़छाड़ कर उन्हे मोबाइल फोन पर अश्लील वीडियो दिखाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरु कर दी है। वहीं पुलिस आरोपी के मोबाइल फोन की जांच करने में जुटी है। पुलिस ने बताया कि एक सिक्योरिटी गार्ड ने शुक्रवार सुबह पैदल जा रहीं स्कूल की नाबालिग बच्चियों को रोककर उनके साथ अश्लील हरकते की और मोबाइल फोन पर अश्लील वीडियो दिखाए। बच्चियों ने आरोपी गार्ड की हरकते देख विरोध किया और शोर मचा दिया। इस पर आरोपी गार्ड मौके से फरार हो गया। बच्चियों ने घर पहुंच कर मामले की जानकारी अपने परिजनों को दी। मामले की जानकारी मिलने के बाद गुस्साए परिजनों ने आरोपी गार्ड के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की गंभीरता को समझते हुए कुछ ही देर में आरोपी गार्ड को हिरासत में ले लिया।

ध्यान और चिंतन से जीवन को आनंदित किया जा सकता है : डॉ. जय मदान

हरिद्वार। केन्द्र सरकारके जनजातीय कार्य मंत्रालय के पदाधिकारियों का दो दिवसीय 'चिंतन शिविर' 30 अप्रैल से 1 मई तक पतंजलि विश्वविद्यालय हरिद्वार में सम्पन्न हुआ। शिविर का आयोजन मंत्रालय द्वारा जनजातीय समुदायों के समग्र विकास के उद्देश्य से किया गया। शिविर में, भारत के विभिन्न राज्यों के प्रधान सचिव, मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों, विशेषज्ञों और अन्य प्रतिनिधियों ने भाग लिया। शुभारम्भ डॉ. अर्चना तिवारी व उनकी टीम के समूहगान से हुआ। भारत सरकार के प्रतिनिधि मनीष त्रिपाठी ने ग्रामीण समाज में आजीविका मॉडल की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने जनजातीय विकास, अर्थव्यवस्था और सतत आजीविका के क्षेत्र में जमीनी स्तर पर किए गए कार्यों को साझा किया। इस अवसर पर जनजातीय वर्गों के लिए संचालित योजनाओं की समीक्षा की तथा भावी योजनाओं को सुदृढ़ बनाने हेतु रणनीतियों पर बल दिया।

पतंजलि विश्वविद्यालय हरिद्वार में केन्द्र सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय के पदाधिकारियों का 'चिंतन शिविर' आयोजित हुआ।

प्रसिद्ध ज्योतिषी व वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जय मदान ने वास्तु के माध्यम से जीवन में संतुलन और सकारात्मकता बनाए रखने के उपाय बताए। उन्होंने वैदिक ग्रंथ ऋग्वेद में वर्णित पवित्र पेय 'सोम' का उल्लेख करते हुए बताया कि यह सोमलता से निर्मित औषधीय रस था, जिसे यज्ञों में देवताओं को अर्पित किया जाता था। चंद्रमा का अमृत शरीर को शीतलता और आंतरिक प्रसन्नता प्रदान करने का प्रतीक माना गया है। उन्होंने आध्यात्मिक योग को तन, मन और आत्मा का समन्वय बताया, जो साधक को परमात्मा से जोड़ता है। 'लक्ष्मीवान' शब्द समृद्धि का प्रतीक है। उन्होंने तीसरी आँख (आज्ञा चक्र) को जागृत करने हेतु त्राटक और ॐ जप जैसे सरल अभ्यासों पर जोर दिया, जो एकाग्रता और मानसिक शांति बढ़ाते हैं। ध्यान एवं चिंतन करने से जीवन में आनंद की अनुभूति होती है। इसके साथ ही, उन्होंने अपनी संतानों को केवल जैविक नहीं अपितु भविष्य की पीढ़ी के रूप में भी परिभाषित किया गया।

मंत्रालय प्रतिनिधि अतुल के. शाह ने कहा कि हमें अनावश्यक चिंता से बचते हुए आत्मविश्वास से जीवन जीना चाहिए। 'मुन्नाभाई' फिल्म का उदाहरण देते हुए बताया कि केवल कागजी ज्ञान पर्याप्त नहीं बल्कि सहानुभूति और शांति से समस्याओं का समाधान अधिक प्रभावी होता है। उन्होंने कहा कि स्पष्ट लक्ष्य व्यक्ति को व्यक्तिगत सफलता और आर्थिक प्रगति की ओर ले जाते हैं तथा समाज में सकारात्मक मूल्यों का निर्माण करते हैं। उन्होंने प्रतिदिन कम से कम एक बार खुलकर हँसने की सलाह दी, इसे शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी बताते हुए कहा कि इससे तनाव के हार्मोन कम होते हैं। इस दौरान, अधिकारियों, विशेषज्ञों और सभी प्रतिनिधियों ने पतंजलि फूड, हर्बल गार्डन तथा अनुसंधान केंद्र का विस्तृत भ्रमण किया और गंगा आरती में भी सहभागिता की। उन्होंने किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। कार्यक्रम के आयोजकों ने अतिथियों को प्रतीक चिह्न और प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया।

सुरक्षा मॉक ड्रिल

जयपुर। पीएनबी जयपुर ज़ोन में अग्नि व आपदा प्रबंधन मॉक ड्रिल आयोजित की गई। इस दौरान एसडीआरएफ जयपुर के मार्गदर्शन में भवन की सुरक्षित निकासी (इवैक्यूएशन) के साथ-साथ अग्नि सुरक्षा उपकरणों का सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक प्रदर्शन किया गया।

इसके अतिरिक्त, एसडीआरएफ जयपुर द्वारा कर्मचारियों को सीपीआर तथा घायल व्यक्तियों को सुरक्षित उठाने (कैजुअल्टी लिफ्टिंग) का प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया।

12 जोड़े बने एक दूजे के हमसफर

जयपुर। अखिल भारतीय हरियाणा गौड़ ब्राह्मण महासभा, जयपुर के तत्वाधान में 23वां सामूहिक विवाह सम्मेलन सम्पन्न हुआ सामूहिक विवाह सम्मेलन में 12 जोडे एक-दूजे के हजारों समाज बंधुओं की मौजूदगी में हमसफर बने और एक-दूसरे का साथ निभाने का वचन लिया।

राष्ट्रीय अध्यक्ष बिरधी चन्द शर्मा ने बताया की सामूहिक विवाह सम्मेलन समाज के भगीरथ बंधुओ द्वारा समाज हित में एक सार्थक सोच व अंगद कदम हैं सामूहिक विवाह मात्र एक विवाह का आयोजन भर नहीं हैं अपितु इसके प्रभाव व समाज हित में लाभ बड़े दूरगामी हैं कन्या का विवाह करानें से बढ़कर कोई अन्य पुनीत कार्य नहीं है।

नम्बर मिलाइए
9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर
उच्च माध्यमिक पूरक प्रायोगिक परीक्षा 2026-परीक्षार्थियों/विद्यालयों हेतु

उच्च माध्यमिक प्रायोगिक पूरक परीक्षा 2026 दिनांक 07.05.2026, 08.05.2026 व 11.05.2026 को अजमेर स्थित परीक्षा केन्द्रों पर प्रातः 08.00 बजे आयोजित होगी। पूरक परीक्षार्थियों की सूचना एवं प्रवेश पत्र बोर्ड की वेबसाइट www.rajeduboard.rajasthan.gov.in पर अपलोड कर दिए गए हैं। परीक्षार्थी बोर्ड की वेबसाइट पर संबंधित Link पर जाकर मुख्य परीक्षा 2026 का नामांक अथवा नाम व जिला दर्ज कर पूरक प्रायोगिक परीक्षा नामांक, परीक्षा की तिथि एवं परीक्षा केन्द्र की सूचना ज्ञात कर, प्रवेश पत्र डाउनलोड करें एवं संबंधित निर्देशों का पालन करे। उक्त परीक्षा संबंधी विस्तृत दिशा-निर्देश बोर्ड की उक्त वेबसाइट पर उपलब्ध है। उपरोक्त संदर्भ में अन्य कोई जानकारी दूरभाष 0145-2623776 पर की जा सकती है।
सचिव

राजस्थान सरकार
कार्यालय सहायक निदेशक जिला बाल संरक्षण इकाई एवं बाल अधिकारिता विभाग, बीकानेर पताः-कमरानी हाउस, टी.टी. कॉलेज हॉस्टल के पास, बीकानेर
Mail-adicps.bikaner-rj@gov.in Website-dcr.rajasthan.gov.in
क्रमांकः-638 **विज्ञप्ति** दिनांकः-30.4.2026
कार्यालय सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई एवं बाल अधिकारिता विभाग, बीकानेर के अधीन संचालित चाईल्ड हेल्पलाईन एवं हेल्पडेस्क में आगामी एक वर्ष के लिए जॉब बेसिस पर आवश्यकतानुसार मानव संसाधन उपलब्ध करवाने हेतु पंजीकृत संवेदकों/बोलीदाताओं से दिनांक 30.04.2026 सांय 05.30बजे से ई-निविदा आमंत्रित की जा रही है। इच्छुक पंजीकृत संवेदकों/बोलदाताओं द्वारा दिनांक 11.5.2026 दोपहर 2.30बजे तक बिड सबमिशन करवाई जा सकती है। निविदा की विस्तृत जानकारी व शर्ते वेब साईट http://eproc.rajasthan.gov.in & sppp.rajasthan.gov.in क पर देखी जा सकती है।
UBN-CED2627SLOB00010
NIB-CED2627A0010
अरूण सिंह शेखावत
सहायक निदेशक
जिला बाल संरक्षण इकाई एव
बाल अधिकारिता विभाग बीकानेर

कार्यालय सहायक निदेशक जिला बाल संरक्षण इकाई एवं बाल अधिकारिता विभाग, करौली
(वीणा मैमोरियल डिग्री कॉलेज के पास, वडौदा स्वरोजगार संस्थान के सामने, करौली)
नीलामी सूचना
क्रमांकः-3308 दिनांकः 01.05.2026
इच्छुक जीएसटी पंजीकृत कबाडी वाले अमानत राशि जमा करवाकर नीलामी में भाग लेने हेतु आमंत्रित है।

क्र.सं.	कार्यालय का नाम	सामग्री का क्रय मूल्य	अमानत राशि	नीलामी की तिथि एवं समय
1	जिला बाल संरक्षण इकाई एवं बाल अधिकारिता विभाग करौली	32450	650	08.05.2026 को 3.00 बजे
2	राजकीय सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह, दत्तक ग्रहण एजेंसी करौली	131573	2680	08.05.2026 को 3.00 बजे

(पवन कुमार गुप्ता)
सहायक निदेशक
जिला बाल संरक्षण इकाई एवं बाल अधिकारिता विभाग, करौली